R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 9
मार्च 2012

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

शहरी सहकारी बैंक

पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा

श्रेणी-निर्धारण प्रणाली के बदले 31 मार्च 2009 से सीएएमइएलस ढाँचे पर आधारित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक संशोधित पर्यवेक्षी क्रम-निर्धारण प्रतिदर्श लागू किए जाने के साथ पर्यवेक्षी कार्रवाई के ढाँचें को समरूप बनाया गया है। संशोधित पर्यवेक्षणी कार्रवाई ढाँचे (एसएएफ) में यह परिकल्पित है कि यदि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो ऐसी वित्तीय स्थिति में प्रारंभिक चरण की गिरावट में शहरी सहकारी बैंक के प्रबंधन द्वारा स्वयं सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

स्वयं सुधारात्मक कार्रवाई

यदि जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है अथवा आस्ति गुणवत्ता में गिरावट होती है अथवा लाभ में गिरावट होती है, चलनिधि में बाध्यता आदि होती है तो बैंक प्रबंधन को गिरावट के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार की दृष्टि से अपने स्तर पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई तत्परता से की जाए क्योंकि कोई भी देरी बैंक के जमाकर्ताओं और अन्य स्टेकधारकों के हित के लिए घातक हो सकती है। सुधारात्मक कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं -

- पूँजी बढ़ाने के उपाय
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) खासकर बड़ी अनर्जक आस्तियों की निकट से निगरानी और उनकी वसूली
- व्यय में कटौती करने के द्वारा लाभप्रदता में सुधार
- न्यूनतर लागत वाली जमाराशियों का संग्रहण

शहरी सहकारी बैंकों को अपने कार्यकलाप में आवश्यक सुधार लाने के लिए एक समयबद्ध विशिष्ट कार्य योजना भी तैयार करनी चाहिए। निदेशक बोर्ड की प्रत्येक बैठक में कार्य योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी की जाए।

रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई

अपने वित्त में सुधार के लिए शहरी सहकारी बैंकों द्वारा यदि आवश्यक उपाय नहीं किए जाते हैं अथवा किए गए उपायों से उनकी वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होता है तो रिज़र्व बैंक हस्तक्षेप करेगा और यदि आवश्यक समझे तो पर्यवेक्षी कार्रवाई करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली पर्यवेक्षी कार्रवाई दो चरणों में होगी ।

पहला चरण - रिज़र्व बैंक तब शहरी सहकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन की सक्रिय निगरानी शुरू करेगा जब निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक अथवा अधिक परिस्थिति विद्यमान हो :

(i) पूँजी पर्याप्तता 6 प्रतिशत से कम हो
(ii) लगातार दो वर्षों के लिए हानि हुई हो
(iii) सकल अनर्जक आस्तियाँ, अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हों
(iv) जमाराशियों का संकेंद्रण अर्थात् शीर्ष 20 जमाराशियाँ/जमाकर्ता कुल जमाराशियों के 30 प्रतिशत से अधिक हों
(v) ऋण-जमा अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक हो

यह निगरानी शहरी सहकारी बैंकों को यह निर्देश देते हुए की जाएगी कि वे विशिष्ट क्षेत्रों में अपने कार्य निष्पादन में सुधार के लिए एक कार्ययोजना रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जहाँ विशिष्ट कमज़ोर क्षेत्र से संबंधित तिमाही/छमाही अंतरालों पर कोई गिरावट अथवा चिंता का कारण, (सीआरएआर, लाभप्रदता, सकल अनर्जक आस्तियाँ, ऋण-जमा अनुपात, जमाराशियों का संक्रेंद्रण जो भी स्थिति हो) और प्रतिलाभ शामिल हों।

दूसरा चरण - पर्यवेक्षी कार्रवाई शहरी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में और अधिक गिरावट को रोकने के लक्ष्य से पूर्व-सक्रिय कार्रवाई के रूप में की जाएगी। पर्यवेक्षी कार्रवाई का दायरा और स्वरूप पूँजी पर्याप्ता तथा बैंक में जमाराशियों में गिरावट, यदि हो, के स्तर पर निर्भर करेगी। पर्यवेक्षी कार्रवाई वैसी कड़ाई के साथ बढ़ाई जाएगी जैसी वित्तीय गिरावट हो और

विषय सूची

	पृष्ठ
शहरी सहकारी बैंक	
पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा	1
भारतीय लेखांकन मानकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों के समरूप बनाना	2
नीति	
ब्याज दरें - आरआइडीएफ एवं अन्य निधियाँ	2
आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया	3
एनबीएफसी	
बैंकों के पास रखी मियादी जमाराशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना	3
स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति पर उधार	3
प्रावधानीकरण मानदण्ड - समयावधि बढ़ाना	3
फेमा	
एनआरई खातों को ऋण	4
संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश सीमा	4
निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना	4

इसमें जमाराशियों के पूर्व परिपक्वता आहरण पर प्रतिबंध लगाने, अग्रिम/ जमाराशियों के स्तर को सीमित करने, जमाराशियाँ स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने, बैंकिंग लाइसेन्स रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने आदि शामिल होंगे।

यदि किसी शहरी सहकारी बैंक का सीआरएआर 4 प्रतिशत से कम हो जाता है लेकिन उसकी निवल संपत्ति सकारात्मक बनी रहती है तो बैंक को किसी विशिष्ट तारीख तक अग्रिमों के स्तर से अधिक इसके सकल अग्रिम को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि शहरी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति और खराब होती है और उसके कारण उसकी निवल संपत्ति नकारात्मक हो जाती है तो रिज़र्व बैंक जमाराशि में गिरावट के अनुरूप आगे सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करेगा।

जमाराशि में गिरावट

(i) 10 प्रतिशत तक जमाराशि में गिरावट के मामले में - बैंक को अन्य बैंक के साथ विलयन के विकल्प ढूँढ़ने के लिए सूचित किया जाएगा। बैंक को एक निश्चित तारीख के बाद जमाराशियों से अधिक अपनी समग्र जमाराशि को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक पर सभी मियादी जमाराशियों के परिपक्वता पूर्व भुगतान पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

(ii) 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक जमाराशि में गिरावट के मामले में - जब बैंक के पुनर्ज्जीवन के सभी विकल्प खत्म हो गए हों तो उसे नई जमाराशियाँ स्वीकार करने और जमाराशियों की चुकौती पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तथापि, जमाराशियों के नवीकरण की अनुमति दी जाएगी।

(iii) 25 प्रतिशत से अधिक जमाराशि में गिरावट के मामले में - बैंक का लाइसेन्स रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

कुछ अवसरों पर बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में न लेते हुए बैंक से पैसे निकालने की होड़ लगना, अत्यधिक नकदी की कमी की जानकारी प्राप्त होना, परिपक्व जमाराशियों का गैर भुगतान अथवा अधिमानित भुगतान की शिकायतें प्राप्त होने, प्रबंधन के असहमत होने के संबंध में बाज़ार सूचना इत्यादि जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत शामिल सभी निर्देशों सहित निर्देश जारी किए जाएंगे।

शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचा (एसएएफ) रिज़र्व बैंक को यदि वह आवश्यक समझें तो पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचे के किसी भी चरण में किसी बैंक का लाइसन्स रद्द करने सहित कोई कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।

भारतीय लेखांकन मानकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मामलों के समरूप बनाना

भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित कोर ग्रुप ने मार्च 2010 में भारतीय लेखांकन मानकों (आईएएस) को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ समरूप बनाने के लिए एक रोड मैप अनुमोदित किया था। 20 अप्रैल, 2010 को जारी रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य 2010-2011 में यह कहा गया था कि 300 करोड़ रुपये से अधिक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों का लेखा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए दी गई समय सीमा में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप तैयार होगा। तदनुसार, 1 अप्रैल 2013 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानकों में परिवर्तित करें। 200 करोड़ रुपये से अधिक और 300 करोड़ रुपये से कम निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंक इस प्रकार का पहला तुलनपत्र 1 अप्रैल 2014 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप भारतीय लेखांकन मानकों में परिवर्तित करेंगे।

200 करोड़ रुपये से अधिक निवल मालियत होनेवाले शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि वे 1 अप्रैल 2013 या 1 अप्रैल 2014 से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समरूप भारतीय लेखांकन मानकों को अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

नीति

ब्याज दरें - आरआइडीएफ एवं अन्य निधियाँ

13 फरवरी 2012 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर को संशोधित कर 6 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत कर देने के फलस्वरूप रिज़र्व बैंक ने आरआइडीएफ तथा सिडबी और एनएचबी के पास रखी ऐसी अन्य निधियों पर लागू ब्याज दरों की समीक्षा की गई तथा निम्नानुसार यह निर्णय लिया गया कि :

(क) निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दायित्वों में पाई जानेवाली कमी के कारण नाबार्ड/सिड़बी/ एनएचबी के पास रखी जमाराशियों पर तथा नाबार्ड द्वारा आरआइडीएफ से संवितरित ऋणों पर 31 मार्च 2012 तक बैंकों को देय ब्याज दरें अपरिवर्तित रखते हुए निम्नानुसार संशोधन पूर्व बैंक दर से सहबद्ध रखी जाएं :

जमाराशि की दरें	
देशी वाणिज्य बैंकों हेतु कृषि उधार लक्ष्यों में कमी तथा समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य में अधिक कमी या एमएसई और विदेशी बैंकों हेतु निर्यात के उप-लक्ष्यों में समग्र कमी	**संशोधित बैंक दर से पूर्व विद्यमान दर**
2 प्रतिशत पाइंट से कम	संशोधन पूर्व बैंक दर (6.0 प्रतिशत)
2 और उससे अधिक लेकिन 5 प्रतिशत पाइंट से कम	संशोधन पूर्व बैंक दर से 1 प्रतिशत पाइंट घटाकर (5.0 प्रतिशत)
5 और उससे अधिक लेकिन 9 प्रतिशत पाइंट से कम	संशोधन पूर्व बैंक दर से 2 प्रतिशत पाइंट घटाकर (4.0 प्रतिशत)
9 प्रतिशत पाइंट और उससे अधिक	संशोधन पूर्व बैंक दर से 3 प्रतिशत पाइंट घटाकर (3.0 प्रतिशत)
उधार दरें	
31 मार्च 2012 तक आरआइडीएफ से संवितरित ऋण	संशोधन पूर्व बैंक दर में 0.5 प्रतिशत पाइंट जोड़कर (6.5 प्रतिशत)

(ख) नाबार्ड/सिड़बी/एनएचबी के पास रखी जमाराशियों पर तथा 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद आरआइडीएफ से नाबार्ड द्वारा संवितरित ऋणों पर देय ब्याज दरों को संशोधित किया जाए तथा उन्हे निम्नानुसार बैंक दर से सहबद्ध रखा जाए :

जमाराशि की दरें	
देशी वाणिज्य बैंकों हेतु कृषि उधार लक्ष्यों में कमी तथा समग्र प्राथमिकता क्षेत्र उधार लक्ष्य में अधिक कमी या एमएसई और विदेशी बैंकों हेतु निर्यात के उप-लक्ष्यों में समग्र कमी	**संशोधित दरें**
2 प्रतिशत पाइंट से कम	बैंक दर (9.5%) से 2 प्रतिशत पाइंट घटाकर
2 और उससे अधिक लेकिन 5 प्रतिशत पाइंट से कम	बैंक दर (9.5%) से 3 प्रतिशत पाइंट घटाकर
5 और उससे अधिक लेकिन 9 प्रतिशत पाइंट से कम	बैंक दर (9.5%) से 4 प्रतिशत पाइंट घटाकर
9 प्रतिशत पाइंट और उससे अधिक	बैंक दर (9.5%) से 5 प्रतिशत पाइंट घटाकर
उधार दरें	
01 अप्रैल 2012 तक आरआइडीएफ से संवितरित ऋण	बैंक दर (9.5%) से 1.5 प्रतिशत पाइंट घटाकर

आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया

प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा आवश्यक रूप से बनाए रखे जाने वाले औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात को 10 मार्च 2012 को शुरू होने वाले पखवाड़े से 75 आधार अंकों से घटाते हुए उनकी निवल माँग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के 5.50 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत किया गया है।

वितीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग

रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2010 में सूचित किया था कि कोई व्यवसाय प्रतिनिधि एक से अधिक बैंकों का व्यवसाय प्रतिनिधि हो सकता है, परंतु ग्राहक से संपर्क के स्थलों पर व्यवसाय प्रतिनिधि का खुदरा केंद्र या उप-एजेंट केवल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा और उसी की सेवाएँ प्रदान करेगा। यह भी कहा गया था कि बैंक और व्यवसाय प्रतिनिधि के बीच की संविदा पर लागू शर्तें लिखित करार में स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और उनकी कानूनी दृष्टि से पूरी जाँच होनी चाहिए। व्यवसाय प्रतिनिधियों और उनके खुदरा केंद्रों/उप एजेंटों के कार्यों के लिए बैंक पूरी तरह जिम्मेवार होंगे।

बीसी के खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के स्थान पर (अर्थात ग्राहक संपर्क के स्थलों पर) अन्तर परिचालन करने की अनुमति दी है, बशर्ते जिस बैंक ने बीसी को नियुक्त किया है उसके पास उपलब्ध प्रौधोगिकी अन्तर परिचालन को समर्थन करती हो। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(क) बीसी के ऐसे खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के पास लेनदेन और पुष्टिकरण ऑन-लाईन किए जाते हों;

(ख) लेनदेन कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हों; और

(ग) बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हों। तथापि, बीसी अथवा उसका खुदरा केंद्र अथवा उप एजेंट ग्राहक संपर्क स्थल पर उसी बैंक का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, जिसने उसे नियुक्त किया है।

एनबीएफसी

बैंकों के पास रखी मियादी जमाराशियों को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में गणना नहीं करना

रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अनेक वर्षों तक गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप नहीं करती तथा अपनी निधियों को वाणिज्यिक बैंकों में मियादी जमा के रूप में रखती हैं। इन कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने भी प्रमाणित किया है कि कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कार्यकलाप कर रही है।

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप करने के विशेष उद्देश्य से जारी किया जाता है। मियादी जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता हैं तथा बैंक के पास रखे गए मियादी जमा से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता हैं क्योंकि इन कार्यकलापों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45आइ (सी) में 'वित्तीय समावेशन' की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, बैंक जमाराशियाँ मुद्रावत होती है और गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यकलाप प्रारंभ करने तक, उक्त मामलों में उपयोग केवल निष्क्रिय निधि के अस्थायी रुप से रखने के लिए किया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के छ: माह के भीतर आवश्यक रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार प्रारंभ करना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से छ: माह के भीतर नहीं किया जाता है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तदोपरांत, पंजीकरण प्रमाण पत्र का नियमन तथा कारोबार प्रारंभ करने के पूर्व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने स्वामित्व में परिवर्तन नहीं कर सकती है।

स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति पर उधार

रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया है कि -

(i) स्वर्ण के आभूषणों पर संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रदान ऋणों के लिए मूल्य के अनुरूप ऋण (एलटीवी) अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए; और

(ii) उनके तुलन-पत्र में अपनी कुल आस्तियों में ऐसे ऋणों के प्रतिशत के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो मुख्य रूप से स्वर्ण आभूषणों की प्रतिभूति पर उधार देने का कार्य कर रही है (ऐसे ऋण जिनमें अपनी वित्तीय आस्तियों से 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो) को सूचित किया गया है कि वे 1 अप्रैल 2014 तक 12 प्रतिशत न्यूनतम टीयर I पूँजी तैयार करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण और स्वर्ण के सिक्कों पर कोई अग्रिम प्रदान नहीं करने के लिए भी सूचित किया गया है।

प्रावधानीकरण मानदण्ड - समयावधि बढ़ाना

लघु वित्त संस्था (एमएफआइ) क्षेत्र को हो रही कठिनाईयों और उनसे रिज़र्व बैंक को प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लघु वित्त संस्थाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदण्डों को लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2013 तक स्थगित की जाए। तथापि, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लघु वित्त संस्थाओं को 2 दिसंबर 2011 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में दिए गए अन्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

आपको यह याद होगा कि दिसंबर 2011 में "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - लघु वित्त संस्थाएं" (एनबीएफसी-एमएफआइ) नामक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नई श्रेणी शुरू की गयी थी और उन्हें 1 अप्रैल 2012 से आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदण्डों के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया था।

फेमा

एनआरई खातों को ऋण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को सूचित किया गया है कि वे भारत में एकल निवासी द्वारा भारत के बाहर अपने नज़दीकी संबंधियों से लिए गए ऋणों की चुकौती हेतु संबंधित उधारदाता के अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी(बैंक) [एफसीएनआर (बी)] खाते में जमा करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाए -

- निवासी व्यक्ति को ऋण उधारदाता के एनआरई/एफसीएनआर(बी) खाते में सामान्य बैंकिंग चैनल अथवा नामे डालने के माध्यम से विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण के माध्यम से दिया गया हो; और
- उधारदाता विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अर्थ के अनुसार एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाता खोलने के लिए पात्र हो।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों के लिए निवेश सीमा

पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) और अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) को अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कंपनी की चुकता ईक्विटी पूँजी अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के मूल्य के क्रमश: 24 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की सकल निवेश सीमा के अंतर्गत भारत के मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों में किसी भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर की खरीद/बिक्री (पंजीकृत दलालों के माध्यम से) करने को अनुमति हैं।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रीयता और पता	:	अल्पना किल्लावाला भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ह)
अल्पना किल्लावाला
दिनांक : 1 मार्च 2012 प्रकाशक के हस्ताक्षर

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि संबंधित भारतीय कंपनियों के लिए यथालागू क्षेत्र-वार उच्चतम सीमा/सांविधिक सीमा के 24 प्रतिशत तक सकल विदेशी संस्थागत निवेश सीमा को बढ़ाने अथवा सकल अनिवासी भारतीय निवेश सीमा को 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक बढ़ाने वाली भारतीय कंपनी इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को कंपनी सचिव से यह प्रमाणपत्र के साथ तत्काल प्रस्तुत करे कि विद्यमान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 विनियमावली तथा समय-समय पर संशोधित विदेशी प्रत्यक्ष नीति का अनुपालन किया गया है।

रिज़र्व बैंक दैनिक आधार पर भारतीय कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश पर सीमा की निगरानी करता है। विदेशी निवेश की उच्चतम सीमाओं की प्रभावी निगरानी के लिए रिज़र्व बैंक ने कट-ऑफ बिंदु निर्धारित किया है जो वास्तविक उच्चतम सीमा से दो प्रतिशत बिंदु कम है। किसी विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा किसी कंपनी के ईक्विटी शेयरों की एक बार सकल निवल खरीद समग्र सीमा के 2 प्रतिशत कम कट-ऑफ बिंदु पर पहुँचती है तो रिज़र्व बैंक सभी पदनामित बैंक शाखाओं को चेतावनी देता है कि वे रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों की ओर से संबंधित कंपनी के ईक्विटी शेयरों की और खरीद न करें। लिंक कार्यालयों से तब यह अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक को अपने विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों जैसे ग्राहकों की ओर से खरीद किए जाने वाले प्रस्तावित कंपनी के ईक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल संख्या और मूल्य के बारे में सूचित करे। ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक पहले आओ पहले पाओ आधार पर सहमति तब तक देता है जब तक कंपनियों में ऐसे निवेश यथालागू संबंधित सीमाओं (जैसेकि 10/24/30/40/49 प्रतिशत सीमा अथवा क्षेत्र-वार उच्चतम सीमा/सांविधिक उच्चतम सीमा) तक नहीं पहुँचते हैं। सकल उच्चतम सीमा तक पहुँचने पर रिज़र्व बैंक सभी पदनामित बैंक शाखाओं को सूचित करता है कि वे अपने विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों जैसे ग्राहकों की ओर से खरीद रोक दें। रिज़र्व बैंक इन कंपनियों के 'चेतावनी' और 'खरीद पर प्रतिबंध' के बारे में आम जनता को भी एक प्रेस प्रकाशनी तथा अपनी वेबसाईट (www.rbi.org.in) पर प्रस्तुत इसी के संबंध में एक अद्यतन सूची के माध्यम से जानकारी देता है।

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि:

- उदारीकृत विप्रेषण योजना अवयस्कों सहित सभी निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। यदि विप्रेषक अवयस्क हो तो एलआरएस घोषणा फार्म अवयस्क के असली संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए।
- इस योजना के तहत किए गए विप्रेषण एक परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए विप्रेषणों में समेकित होंगे, बशर्ते परिवार के सदस्य इस योजना की शर्तों को पूरा करते हों
- इस योजना के तहत किए गए विप्रेषण से कलाकृतियों (कलात्मक वस्तुओं) की खरीद की जा सकती है, बशर्ते इन कार्यों के लिए अन्य लागू कानून, जैसे भारत सरकार की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के उपबंध, इसकी अनुमति देते हों।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।